न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं.18/2022

प्रार्थीगण

1. श्री रावाराम पुत्र श्री कानाजी जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती दारमी पत्नि श्री मोहनलाल जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री किशोर पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री पुखराज पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री निखलेश पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. ग्राम पंचायत कोजरा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री उमेश पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से।

निर्णय **दिनांक 25.03.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री मोहनलाल पुत्र श्री कानाजी माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 003893 दिनांक 12.05.2004 क्षेत्रफल 780 वर्गफुट को [illegible] किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस [illegible] गये। अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] कर उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया [illegible] प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सरपंच ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्वरसाधिकारी श्री मोहनलाल

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पुत्र श्री कानाजी माली को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 003893 दिनांक 12.05.2004 क्षेत्रफल 780 वर्गफुट जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी गांव कोजरा का मूल निवासी है एवं गांव कोजरा में प्रार्थी के पुश्तैनी वसीयत की सम्पत्ति आई हुई है। यह कि प्रार्थी के परिवार के पैढी पत्रक में से श्री खेताजी के पुत्र श्री नोपाजी के कोई संतान नहीं होने से तथा उनकी मृत्यु पर उक्त सम्पत्ति श्री भीखाजी को प्राप्त हुई और श्री भीखाजी के भी कोई संतान नहीं होने से उनकी सेवा चाकरी प्रार्थी ने की और प्रार्थी के सेवा चाकरी करने से प्रार्थी के नाम उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.01.1979 को करने पर प्रार्थी उक्त सम्पत्ति का मालिक बना। यह कि उक्त सम्पत्ति के पास में ही पूर्व जागीरदार के द्वारा श्री मेघाजी के नाम पट्टा जारी किया हुआ है, जो पट्टा प्रार्थी के उक्त सम्पत्ति के दक्षिण में है। उक्त जागीरदार द्वारा जारी पट्टे के उत्तर दिशा में श्री नोपाजी की सम्पत्ति होना लिखा है। यह कि उक्त सम्पत्ति जरिए वसीयत प्रार्थी को प्राप्त होने पर तथा प्रार्थी नवसारी (गुजरात) में कमाने जाने के कारण उक्त सम्पत्ति की देखभाल के लिए भाई श्री मोहन व श्री नारायण को सार संभाल के लिए तथा रहने हेतु दी थी कि जब भी प्रार्थी यहां आएगा तब मोहन व नारायण प्रार्थी को सम्पत्ति खाली करके दे देंगे। यह कि प्रार्थी के भाई मोहनलाल व नारायणलाल अपने पास रहने का मकान नहीं होने का कहकर अपने भाई के मकान को खाली करने हेतु समय मांगते रहे, परन्तु काफी कहने पर भी मकान खाली नहीं करने पर प्रार्थी ने सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में एक वाद पेश किया। यह कि प्रार्थी ने उक्त वाद श्री कानाराम पुत्र श्री मेघाजी, श्री नारायणलाल पुत्र श्री कानाजी व श्री मोहनलाल पुत्र श्री कानाजी के विरूद्ध एक दावा संख्या 26/1994 पेश किया था, जिसका निर्णय दिनांक 17.11.1997 को हुआ, जिसमें प्रार्थी को उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का मालिक घोषित किया और प्रार्थी उक्त सम्पत्ति का मालिक बना। यह कि अप्रार्थी संख्या एक से चार के पति व पिता श्री मोहनलाल को यह भलीभांति पता था कि वह उक्त वादग्रस्त भूमि का स्वामी नहीं है, लेकिन पंचायत सचिव व सरपंच से मेल मिलाप कर पुराना आवास होने के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि का पट्टा बनवा लिया, जबकि प्रार्थी ने आपत्ति भी की थी और पूर्व के निर्णय सिविल जज (क.ख.) न्यायालय पिण्डवाडा के आदेश की कॉपी भी पेश की लेकिन उसे नहीं मानकर तथा प्रार्थी की आपत्ति पर गौर किए बिना ही पट्टा बना दिया, जबकि उस वक्त सचिव व सरपंच ने प्रार्थी के मौखिक बताया था कि आपने आपत्ति की है तो पट्टा नहीं बनाएगें, परन्तु जनवरी 2016 में पता चला कि प्रार्थी के मालिकी की भूमि पर अप्रार्थी संख्या पांच ने पट्टा बना दिया है। तब प्रार्थी ने पट्टे की नकल मांगी, जिस पर पट्टे की जानकारी पर यह निगरानी पेश की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री मोहनलाल पुत्र श्री कानाजी माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 003893 दिनांक 12.05.2004 क्षेत्रफल 780 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से चार के लायक अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या पांच द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पति/पिता स्व. श्री मोहनलाल के नाम से ग्राम पंचायत कोजरा पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा जारी आवासीय मकान के पट्टा संख्या 003893 को गलत रूप से श्री भीखाजी से वसीयत द्वारा प्राप्त श्री नोपाजी की सम्पत्ति का होना बताकर यह निगरानी पेश की है, जबकि अप्रार्थीगण का पट्टा अपने पूर्वज श्री मेघाजी पुत्र श्री भूदाजी की सम्पत्ति में बने रहवासी मकान का चारों भाईयों के आपसी बंटवाड में हिस्से में आए भाग का बना हुआ है, जो सही है, किन्तु प्रार्थी उक्त मकान को गलत रूप से श्री नोपाजी की भूमि का बना हुआ बता रहा है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। यह है कि अप्रार्थीगण का पट्टा श्री मेघाजी पुत्र श्री भूदाजी की भूमि का है एवं सिरोही रियासतकाल का पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिसका माप 52 फीट गुणा 60 फीट का है, जिसे प्रार्थी सहित उसके भाई अप्रार्थीगण के पिता/पति श्री मोहनलाल, श्री नारायणलाल व श्री शंकरलाल चारों भाईयों के मध्य विभाजन कर सभी को समान चौडाई व लम्बाई नाप 13 गुणा 60 फीट के हिस्से किए, जिसमें उत्तर दिशा का हिस्सा प्रार्थी के भाग में आया, उसके बाद अप्रार्थीगण के हिस्से में आया, उसके बाद श्री नारायणलाल व उसके बाद दक्षिण का भाग श्री शंकरलाल के हिस्से में आया है। सभी ने अपने-अपने हिस्से के पट्टे ग्राम पंचायत कोजरा से जारी करवाए है। यह कि प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि अप्रार्थीगण के हिस्से में श्री मेघाजी पुत्र श्री भुदाजी के रिसासतकाल के पट्टे वाली भूमि का जारी किया गया है, जिसके समर्थन में प्रार्थी के पिता श्री कानाराम पुत्र श्री मेघाजी ने शपथ पत्र दिनांक 08.12.2003 को ग्राम पंचायत में पेश किया था। यह कि प्रार्थी ने अन्य पारिवारिक अनबन से नाराज होकर श्री मोहनलाल की मृत्यु के बाद उसकी विधवा व मासूम पुत्रों को परेशान करने की नियत से उनके स्वामित्व निवास व हक हिस्से के मकान को गलत रूप से श्री नोपाजी की सम्पत्ति क पट्टा होना यह कार्यवाही पेश की है तथा फौजदारी कार्यवाही भी की थी, जो खारिज हो चुकी है। सिविल वाद भी अन्य सम्पत्ति को लेकर है, जिसमें अप्रार्थीगण का भी हक हिस्सा बनता है, परन्तु वंचित करने के आशय से गलत रूप से वसीयत बनाकर अकेले हडप कर ली है और अब पुश्तैनी श्री मेघाजी की सम्पत्ति में बने मकान को भी वसीयत वाली भूमि में बना हुआ बताकर यह झूठी कार्यवाही पेश की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी ने देरीना म्याद बाहर यह निगरानी पेश की है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है तथा आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति का अडौस पडौस व नाप अंकित नहीं किया है, जिससे विवादित सम्पत्ति का सीमा चिन्ह व पहचान स्पष्ट रूप से हो सके, जिससे भी निगरानी कार्यवाही खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मननं किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉंति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री मोहनलाल पुत्र श्री कानाजी माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 003893 दिनांक 12.05.2004 क्षेत्रफल 780 वर्गफुट जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितिकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से [illegible] वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती [illegible] के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः तर्क किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि प्रार्थी को वसीयत से प्राप्त हुई है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा श्री मोहनलाल पुत्र श्री कानाजी माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम से गलत रूप से बना दिया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक से चार के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि प्रार्थी सहित उसके भाई

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण के पिता/पति श्री मोहनलाल, श्री नारायणलाल व श्री शंकरलाल चारों भाईयों की पुश्तैनी भूमि है, जिसका उनके मध्य विभाजन कर सभी को समान चौडाई व लम्बाई नाप 13 गुणा 60 फीट के हिस्से किए, जिसमें उत्तर दिशा का हिस्सा प्रार्थी के भाग में आया, उसके बाद अप्रार्थीगण के हिस्से में आया, उसके बाद श्री नारायणलाल व उसके बाद दक्षिण का भाग श्री शंकरलाल के हिस्से में आया है। सभी ने अपने–अपने हिस्से के पट्टे ग्राम पंचायत कोजरा से जारी करवाए है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक से चार के अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि प्रार्थी सहित उसके भाई अप्रार्थीगण के पिता/पति श्री मोहनलाल, श्री नारायणलाल व श्री शंकरलाल चारों भाईयों की पुश्तैनी भूमि है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद के निर्णय की प्रति में भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा द्वारा वाद संख्या 26/94 अनवान रावाराम बनाम कानाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.11.1997 में भी उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रार्थी के मालिक स्वामित्व की ही होना माना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्री भीखाजी पुत्र श्री खेताजी जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा प्रार्थी श्री रावाराम के हक में एक वसीयतनामा लिखा था, जिसे उपपंजीयक पिण्डवाडा में रजिस्टर्ड किया हुआ है एवं उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अप्रार्थी संख्या एक से चार के अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सम्पत्ति को अकेले हडप करने के आशय गलत रूप से वसीयत बनाई गई है, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत बनाई गई वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी गई हो, ऐसा किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा यदि उक्त वसीयत को गलत रूप से बनवाया गया है तो अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वसीयतनामा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा दिनांक 06.05.2002 को ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त उक्त वादग्रस्त पट्टे के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में कौन–कौन सदस्य थे, उनके नाम अंकित नहीं करते हुए बैठक कार्यवाही विवरण में उनके नाम को रिक्त रखा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा मौका निरीक्षण कमेटी को अधिकृत किए बिना ही उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का मौका निरीक्षण करवाकर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली में श्री मेघाराम पुत्र श्री हटाराम जाति सुथार निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा अपने बयानों में श्री मोहनलाल के 50 वर्ष पुराना कब्जा होने की पुष्टि की गई है, जबकि उस समय उनकी उम्र 48 वर्ष ही थी, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन ए[illegible] साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व [illegible] माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जि[illegible] संख्या 003893 दिनांक 12.05.2004 क्षेत्रफल 780 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner